Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[Anganbari Appeal/Revision Case No.- 21/2023+17/2024]

Rabina Praween..Appellant
Versus
The State of Bihar & Others..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	24.11.2025	**आदेश** माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका संख्या-19366/2018 में दिनांक-02. 1.2023 को पारित आदेश के आलोक में रिट याचिका के वादी रबीना प्रवीण की ओर से आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-21/2023 दायर किया गया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रिट याचिका संख्या-16270/2023 में दिनांक-22.4.2024 को पारित आदेश के आलोक में रिट याचिका के वादी बीबी शहजादी बेगम की ओर से आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या-17/2024 दायर किया गया। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। एक ही मामला/Issue in question रहने के कारण आंगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या-21/2023 में दिनांक-23.08.2024 को पारित आदेश के अनुसार दोनों वाद को एकीकृत करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। यह मामला अररिया जिला अंतर्गत प्रखंड-अररिया के पंचायत-पोखरिया, वार्ड सं0-6 में अवस्थित आंगनबाड़ी केन्द्र सं0-226 में सेविका चयन हेतु आम सभा (18.2.2015) में उभय पक्ष के बीच विवाद का मामला है। दिनांक-12.11.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्ष यथा-बीबी शहजादी बेगम एवं रबीना प्रवीण का अभिकथन वाद पत्र तथा दाखिल Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-226, पंचायत- पोखरिया, जिला-अररिया के आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उभय पक्ष के अलावा अन्य अभ्यर्थियों द्वारा अपना-अपना आवेदन समर्पित किया गया। आम सभा दिनांक-18.2.2015 को हुआ। जिसमें चयन समिति के द्वारा बीबी शहजादी बेगम का चयन सेविका पद के लिए किया गया। कागजातों के आधार पर यह स्थापित हो रहा है कि रबीना प्रवीण के द्वारा बीबी शहजादी बेगम के चयन पर इस बिन्दु पर सवाल उठाया गया कि उनकी शादी 18 वर्ष की उम्र से कम उम्र में हुआ था। जबकि बीबी शहजादी बेगम की ओर से इस कानूनी बिन्दु को उठाया गया है कि Muslim Personal Law के अनुसार Puberty/15 वर्ष की उम्र के उपरान्त मुस्लिम विवाह मान्य होता है। सुनवाई में बीबी शहजादी बेगम के विद्वान अधिवक्ता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, रांची द्वारा Cr.M.P. No.1171 of 2022 में दिनांक 05/25.11.2022 को पारित आदेश को संदर्भित करते हुए बताया गया कि स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार मुस्लिम धर्म में Female Marriage का विधिमान्य न्युनतम उम्र - Puberty/15 वर्ष निर्धारित है। तथा यह कि बीबी शहजादी बेगम का विवाह दिनांक-06.7.2011 को 15 वर्ष 10 माह की उम्र में हुआ था। एवं तदनुसार रबीना प्रवीण की ओर से उनके शादी की उम्र के संदर्भ में उठाया जा रहा बिन्दु कानूनन मान्य नहीं है। उभय पक्ष के बीच विवाद के	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

24.11.2025

उपरोक्त Issue in question के संदर्भ में सुनवाई/बहस में बीबी शहजादी बेगम के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थापित उपरोक्त अभिकथन/कानूनी स्थिति को Negate करने हेतु रबीना प्रवीण की ओर से काई Counter Evidence उपस्थापित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त सुनवाई एवं उपस्थापित कागजातों के आधार पर यह स्थापित होता है कि दिनांक-18.2.2015 को हुए आम सभा में जिला-अररिया, पंचायत - पोखरिया, वार्ड सं0-6 अवस्थित उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र सं0-226 हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दाखिल आवेदनों की तैयार मेधा सूची के आधार पर अधिक मेधा अंक धारित करने वाले अभ्यर्थी बीबी शहजादी बेगम का आंगनबाड़ी सेविका पद पर किया गया चयन विधिमान्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त आगनवाड़ी केन्द्र के सेविका पद हेतु दिनांक 11.7.2015 को आम सभा में बीबी शहजादी बेगम के चयन को बरकरार रखा जाता है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि बीबी शहजादी बेगम को तत्काल प्रभाव से अंगनवाड़ी सेविका पद पर कार्यभारित कराते हुए उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन सुनिश्चित करावें। इस मामले के संदर्भ में निम्न प्राधिकारों द्वारा पारित अन्य कोई आदेश इस हद तक निरस्त समझा जायेगा। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील/रिविजन वाद की कार्यवाही का समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Bye k.
24/11/25.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।

Bye k.
24/11/25.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।